

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 97/2017

अपीलान्त
गिरवरसिंह पुत्र छोदूसिंह जाति राजपूत
निवासी गोरेडीचांचा तहसील डेगाना।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना।
2 पटवारी हल्का, गोरेडीचांचा।

उपस्थिति :-

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 28.03.18

[1]-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 267/2017 सरकार बनाम गिरवरसिंह में निर्णय दिनांक 21.11.17 के तहत मौजा गोरेडीचांचा के खसरा नं. 324 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. स्कूल मैदान भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.12.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 19.12.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

2}(II)-अपीलांत ने किसी भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नहीं किया है। बल्कि अपीलांत का जिस भूमि पर कब्जा है। वह भूमि अपीलांत की पट्टासुदा व खरीदसुदा भूमि है तथा ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा पटा सं. 121/86-87 दिनांक 7.11.86 को नियमानुसार बीरमाराम पुत्र भीयाराम जाट के पक्ष में जारी किया गया था। तत्पश्चात उक्त भूमि को अपीलांत के भाई नंदकिशोरसिंह व अपीलांत ने दिनांक 14.01.88 को खरीद कर विक्रय पत्र का विधि अनुसार पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाया गया। जो विक्रय पत्र अपीलांत के भाई नंदकिशोरसिंह के नाम है तथा उक्त भूखण्ड व मकान अपीलांत के बंट में आया हुआ है। जिस पटे को व विक्रय पत्र को नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टासुदा भूमि होते हुए भी अपीलांत को अतिक्रमी मानने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

[2}(III)-बीरमाराम के पक्ष में जो पट्टा जारी हो रखा है। वह भूमि आबादी भूमि के अन्तर्गत आती है तथा आबादी भूमि होने से तहसीलदार को 91 की कार्यवाही करने का व अपीलांत को बेदखल करने का आदेश पारित करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरुद्ध कार्यवाही कर आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

[2}(IV)-पटवारी हल्का ने सरकारी भूमि का व आबादी भूमि का बिना कोई नाप किये ही बिना मौके पर आये ही राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से अपीलांत को पट्टासुदा व स्वामित्वसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित करने की गरज से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट अपीलांत के बाले बाले ही तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिस रिपोर्ट का कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांत को अतिक्रमी मानने में बड़ी भारी भूल की है। जबकि खसरा नं. 555/324 व 324 की भूमि श्मशानभूमि व कब्रिस्तान की भूमि में दबी हुई भूमि है तथा श्मशान व कब्रिस्तान की भूमि में दबी हुई होना पटवारी हल्का की नाप रिपोर्ट सन 1983 की रिपोर्ट से साबित है। लेकिन श्मशानभूमि व कब्रिस्तान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पटवारी हल्का ने अपीलांत के खिलाफ झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिस रिपोर्ट के आधार पर



अपर कलक्टर, नागौर

अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि में बने हुए पट्टासुदा भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि तहसीलदार को अपीलांट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही करने का व बेदखल करने का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी तहसीलदार ने सारी कार्यवाही विधि विरुद्ध की है। जो निरस्तनीय है।

[2](M)—अपीलांट का पट्टासुद भूमि व खरीद सुदा भूमि पर सन 1988 से कब्जा व स्वामित्व रहता चला आया है तथा पक्का मकान बना हुआ है तथा पट्टासुद भूखण्ड से व मकान से बेदखल करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

[3]—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम गोरेडीचांचा में स्थित गै.मु. स्कूल मैदान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]—उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गोरेडीचांचा के खसरा नंबर 324 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. स्कूल मैदान भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि गैर मुमकिन स्कूल मैदान किस्म की राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)

अपर कलक्टर

नागौर

(अशोक कुमार)

अपर कलक्टर

नागौर